

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-13/2024 (2024/22) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1 काना पुत्र मीठु कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 डाली पत्नि मीठु कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 नारायण पुत्र मीठु कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4 श्यामलाल पुत्र मीठु कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5 चन्दु पुत्र रामा कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 रेखा पुत्री रामा कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 सागर पुत्र रामा कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1 मोहनी पत्नि मदनलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 नरेश पुत्र मदनलाल नाबलिक सरंक्षक माता मोहनी देवी नि.पनोतिया तहसील रायपुर
- 3 हेमन्त पुत्र मदनलाल नाबलिक सरंक्षक माता मोहनी देवी नि.पनोतिया तहसील रायपुर
- 4 हेमा पुत्री मदनलाल नाबलिक सरंक्षक माता मोहनी देवी नि.पनोतिया तहसील रायपुर
- 5 पारसीदेवी पुत्री सोहन ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 शंकर पुत्र नारायण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 श्यामलाल पुत्र नारायण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.09.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1594 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1599 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 52 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 20.05.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की



*(Handwritten signature)*

सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.01.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 5 लगायत 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं विपक्षी संख्या 8 फोरमल पक्षकार है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1594 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1599 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 52 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिव्यराजसिंह चुण्डावत)  
उपरवाह-अधिकारी  
महाधक कलेक्टर रायपुर जिला मीरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-13/2024 (2024/22) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1 काना पुत्र मीठु कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 डाली पत्नि मीठु कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 नारायण पुत्र मीठु कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4 श्यामलाल पुत्र मीठु कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5 चन्दु पुत्र रामा कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 रेखा पुत्री रामा कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 सागर पुत्र रामा कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1 मोहनी पत्नि मदनलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 नरेश पुत्र मदनलाल नाबलिक सरंक्षक माता मोहनी देवी नि.पनोतिया तहसील रायपुर
- 3 हेमन्त पुत्र मदनलाल नाबलिक सरंक्षक माता मोहनी देवी नि.पनोतिया तहसील रायपुर
- 4 हेमा पुत्री मदनलाल नाबलिक सरंक्षक माता मोहनी देवी नि.पनोतिया तहसील रायपुर
- 5 पारसीदेवी पुत्री सोहन ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 शंकर पुत्र नारायण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 श्यामलाल पुत्र नारायण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.09.2024 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1594 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1599 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 52 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी

किया गया।



(दिव्यराजसिंह चुण्डावत) अधिकारी  
सहायक कलेक्टर (अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा